दिनांकः 27.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 हत्यारोपी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.11.2024 को वादिया आयशा पुत्री जाफर निवासी मौहल्ला रहमतनगर भायला रोड कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. मारूफ (जीजा) पुत्र मौसम निवासी ग्राम अम्बेहटा हसनपुर, थाना गढीपुख्ता जनपद शामली, 2. नाजमा (भाभी) पत्नि शाकिर निवासी भायला रोड मौ0 रहमतनगर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, 3. बानो (माँ) पत्नि जाफर निवासी भायला रोड मौ0 रहमतनगर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 4. जाफर (पिता) पुत्र सुलेमान निवासी भायला रोड मौ0 रहमतनगर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की बहन साइला उम्र करीब 18 वर्ष को जान से मारकर शव को कही छिपा देने की सूचना के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0स0 651/2024 धारा 103(1)/238(b) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 26.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर मात्र 12 घण्टे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए **04 वांछित हत्यारोपी अभियुक्तगण 1.जाफर पुत्र सुलेमान निवासी भायला रोड मौ0 रहमतनगर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, 2.मारूफ पुत्र मौसम निवासी ग्राम अम्बेहटा हसनपुर, थाना झींझाना जनपद शामली, 3. बानो पत्नि जाफर निवासी भायला रोड मौ0 रहमतनगर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 4. नाजमा पत्नि शाकिर निवासी भायला रोड मौ0 रहमतनगर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर शव की शिनाख्त करायी गयी। मृतका शाइला के शव को छिपाने के लिये बोरे में डालकर ग्राम तिलफरा के पास नहर फेंकना पाया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त मारूफ उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी छोटी साली (साईला) अपनी भाभी के भैया आरजू पुत्र लुकमान निवासी पिठलोकर थाना सरधना जिला मेरठ से बार बार मना करने पर भी बात करती थी तथा साईला की बहन आयशा उसका साथ देती थी। जो मुझे व मेरे ससुराल वालो को पसन्द नही था। हमने साईला को काफी समझाया था किन्तु साईला आरजू से बात करना नही छोडती थी। दिनांक 23/11/24 मेरी सास की सहेली की लडकी की शादी थी, जो हमारे गांव की ही रहने वाली है यह हमें बहाना मिल गया तथा लेकिन हम लोगो को पता था कि आयशा, साईला को नही मारने देगी। इस लिए हम लोगो ने योजना के मुताबिक आयशा (मृतका की बहन) को उसकी मां जबरदस्ती दिनांक 22/11/2024 को शादी में ग्राम अम्बेहटा हसनपुर अपनी सहेली की बेटी की शादी में

लेकर चली गयी तथा दिनांक 23/11/24 की शादी के बाद शाम के 06.00 बजे मैं व मेरी सास बानो मोटरसाइकिल से भायला रोड रहमतनगर देवबन्द के लिये चल दिये तथा रहमतनगर आये तो जाफर (ससुर) व नाजमा (भाभी) व मेरी साली साईला घर पर ही मिले। हम पहले बातचीत करते रहे फिर साईला कमरे में सोने चली गई फिर हमने दूसरे कमरे में पूरी प्लानिंग की कि नाजमा साईला के हाथ पकडेगी मेरी सास व मेरे ससुर, साईला के पैर पकडेगे तथा मैं साईला का गला दबा दूंगा। उसी योजना के तहत हमने साईला के कमरे मे जाकर साईला के हाथ पैर पकडवा कर मैने साईला का गला दबा कर मार दिया। तथा साईला की डैड बाडी को टाट वाली बोरी में बन्द करके बोरी को अपनी सास के साथ मोटरसाइकिल पर रख कर बाडी को ग्राम तिलफरा के पास नहर में फेंक दी थी। उसके बाद मैं व मेरी सास मोटरसाइकिल से ग्राम अम्बेहटा हसनपुर आ गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. जाफर पुत्र सुलेमान निवासी भायला रोड मौ0 रहमतनगर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. मारूफ पुत्र मौसम निवासी ग्राम अम्बेहटा हसनपुर, थाना झींझाना जनपद शामली
3. बानो पत्नि जाफर निवासी भायला रोड मौ0 रहमतनगर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. नाजमा पत्नि शाकिर निवासी भायला रोड मौ0 रहमतनगर कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 मिथलेश थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. हे0का 1031 श्रीकान्त भाटी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. म0का0 73 शिवानी थाना देवबंद जनपद जनपद सहारनपुर
5. म0का0 276 अंशिका चौहान थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
6. का0 17 रवि चिकारा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

दिनांकः 27.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 338.34 ग्राम अवैध स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत 50 लाख रूपये) व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मदाक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम एवं नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त साजिद पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 338.34 ग्राम स्मैक (**अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानिक कीमत 50 लाख रूपये**) व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0स0 653/24 धारा 8/21/29/60 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त पूर्व में भी जनपद के अलग-अलग थानों से जेल जा चुका है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त साजिद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मुझे जल्दी पैसा कमाकर अमीर बनना था। इस लिए मै चोरी छिपे गुज्जरबाड़ा गंगोह क्षेत्र में एक व्यक्ति से नशीला पदार्थ लेकर झबरेड़ा उत्तराखण्ड ले जाकर नशा करने वाले लोगो को महंगे दामो पर बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। जो पैसा मिलता हूँ उससे मै अपने खाने पीने व मौज मस्ती करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

साजिद पुत्र अफलातून नि0 घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 338.34 ग्राम स्मैक नाजायज (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रूपये)
- 199.4 ग्राम कट
- 01 मोटरसाईकिल स्पलैण्डर रंग काला

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 11/23 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. है0का0 09 महबूब अली थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. है0का0 698 सन्दीप भाटी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
5. का0 1646 दीपक थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

दिनांक:27.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वाँछित वारण्टियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.11.2024 को 01 वारण्टी **अभियुक्त दीपक पुत्र भोपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 315/2019, मु0अ0स0 62/2019 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) / न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द को ग्राम शिमलाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

दीपक पुत्र भोपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना बडगांव जिला सहारनपुर।
2. कां0 547 अंकुश तोमर थाना बडगांव जिला सहारनपुर।

दिनांक 27.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलेहडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेडी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलेहडी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त सलमान पुत्र सलीम नि0ग्राम हरौडा मुस्तकम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0 542/22 मु0अ0स0 206/20 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना गागलहेडी (मा0न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) / न्यायिक मैजिस्ट्रेट सहारनपुर) में थाना क्षेत्र गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

सलमान पुत्र सलीम नि0 ग्राम हरौडा मुस्तकम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 206/20 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2- हे0कां0 379 प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3- का0 1035 हरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 27.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता सहारनपुर पुलिस द्वारा जब्त वाहन को फर्जी कूटरचित रिलीज आदेश तैयार धोखाधडी से थाने से वाहन रिलीज कराने का प्रयास करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी कूटरचित रिलीज आदेश व 01 मोबाइल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.11.2024 को खान/माइन्स निरीक्षक, सहारनपुर द्वारा ट्रक न0 UP14FT4295 को बिना वैध प्रपत्र के उप खनिज का ओवरलोड परिवहन करने के कारण ट्रक को खनिज सामग्री सहित सीज करके चौकी जन्धेडी थाना नानौता पर खडा कराया था। दिनांक 26.11.2024 को उपरोक्त वाहन का वाहन स्वामी व 01 अन्य व्यक्ति खान निरीक्षक सहारनपुर द्वारा निर्गत समन शुल्क जमा होने के उपरान्त वाहन को रिलीज किये जाने का आदेश लेकर थाना नानौता आये। थाना नानौता पुलिस को उक्त आदेश संदिग्ध प्रतीत होने पर खान निरीक्षक सहारनपुर से वार्ता की गयी तो आदेश फर्जी पाया गया जिस पर खान निरीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए कूटरचित आदेश तैयार किया जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 275/24 धारा 318(2),338,336,340(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.11.2024 को थाना नानौता पुलिस द्वारा धोखाधडी से खान निरीक्षक कार्यालय का फर्जी कूटरचित रिलीज आदेश तैयार करके असल के रुप मे प्रयोग करते हुए उक्त वाहन सं0 UP14 FT4295 को धोखाधडी से थाने से रिलीज कराने का प्रयास कर रहे **02 अभियुक्तगण 1. आसिफ पुत्र शाहबुद्दीन निवासी ग्राम जोला जनपद मुजफ्फरनगर व 2. सौरभ कालरा पुत्र विजय कालरा निवासी ई-5 हकीकत नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर हाल निवासी शास्त्री नगर हकीकत नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के पास से 01 फर्जी कूटरचित वाहन रिलीज आदेश व 01 मोबाइल फोन सैमसंग बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 275/24 धारा 318(2),338,336,340(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो को पता था कि खनन विभाग द्वारा सीज किये गये ट्रक को रिलीज कराने के लिये खनन विभाग मे करीब दो लाख रुपये समन शुल्क जमा होता है। रकम बडी थी इस लिए हम लोगो ने योजना बनाई कि हम लोग फर्जी रिलीज आर्डर से गाड़ी छुड़वा लेगे। इस लिए मै (आसिफ वाहन स्वामी), सौरभ कालरा व हमारे अन्य साथियो ने साथ मिलकर खान निरीक्षक कार्यालय का फर्जी रिलीज आर्डर तैयार कराया। जिस पर हम लोग धोखे से थाने से वाहन रिलीज का प्रयास कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. आसिफ पुत्र शाहबुद्दीन निवासी ग्राम जोला जनपद मुजफ्फरनगर
2. सौरभ कालरा पुत्र विजय कालरा निवासी शास्त्री नगर हकीकत नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 कूटरचित फर्जी वाहन रिलीज आदेश

01 मोबाइल फोन सैमसंग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 118 विपुल कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 27.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी से छेडछाड के अभियोग मे वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वांछित/वारंटी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.11.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा थाना नानौता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 271/2024 धारा 75(1)(i), 332(C),351(2) बीएनएस व धारा 7,8 पोक्सो एक्ट मे वाँछित अभियुक्त **विवेक कुमार उर्फ विकास पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम भारी थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम भारी से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विवेक कुमार उर्फ विकास पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम भारी थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 निप्पी सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 सुरेन्द्र सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांकः 27.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोजित की गयी विवेचकों की ऑफलाईन/ऑनलाईन, प्रशिक्षण/कार्यशाला

अवगत कराना है कि आज दिनांक 27.11.2024 को माननीय उच्च न्यायालय को 19 बिन्दुओं के प्रारूप में त्रुटिरहित सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में विधि विशेषज्ञ द्वारा जिला प्रशिक्षण इकाई (डी0टी0यू0), रिजर्व पुलिस लाईन सहारनपुर में जनपद में नियुक्त विवेचकों की ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें श्री मनोज चौरसिया, सहायक अभियोजन अधिकारी एवं श्री अतुल चौधरी, सहायक अभियोजन अधिकारी, सहारनपुर द्वारा विवेचकों को 19 बिन्दुओं के प्रारूप में त्रुटिरहित सूचना अंकित कर प्रेषित करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला में श्री मुनीश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर एवं अन्य 123 विवेचकों द्वारा ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया।